भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2832

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

पीएम दक्ष योजना का प्रचार

2832. श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित लक्षित समूहों के बीच पीएम-दक्ष योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या पहलें की गई हैं;

(ख) पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों और भागीदारों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) वर्तमान में उक्त योजना से जुड़े प्रशिक्षण भागीदारों की संख्या कितनी है;

(घ) यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या है कि ये भागीदार अपेक्षित मानकों को पूरा करें और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करें;

(ड.) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षुओं द्वारा की गई शिकायतों या मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या तंत्र है;

(च) प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता, जैसे नौकरी दिलाने में सहायता या उद्यमिता संबंधी मार्गदर्शन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार प्राप्त करने वाले अथवा अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी), सफाई कर्मचारियों, जिसमें पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कूड़ा बीनने वाले लोग शामिल हैं, को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। लक्षित समूह के बीच पीएम-दक्ष योजना को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय आधार पर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के

माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, क्लस्टर/समुदायों तक पहुँचकर और योजना के बारे में जागरूकता फैलाकर लक्षित समूह के बीच जागरूकता भी फैलाते हैं।

(ख): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करने के लिए उनके प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन किया जाता है। यह समिति अनुमोदन के लिए कुछ पैरामीटरों के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों के नामों की सिफारिश करती है।

(ग): वर्तमान में पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण संस्थान सूचीबद्ध नहीं है।

(घ): कौशल मानकों को पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण संस्थानों के केंद्रों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल से मान्यता प्राप्त करना और उससे संबद्ध होना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षण केंद्र कौशल मानक को पूरा करते हैं और नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार अपने केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करते हैं। एक बार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) या मूल्यांकन निकायों के माध्यम से किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन-रोजगार या स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तीनों निगम इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, जो प्रशिक्षुओं द्वारा बताई गई शिकायतों या मुद्दों का समाधान करने तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(च): इस योजना के अंतर्गत, पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्रमाणित प्रशिक्षुओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। प्रशिक्षण संस्थानों को अंतिम किस्त तभी जारी की जाती है जब वे प्रमाणित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रशिक्षण के बाद, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपस्थिति मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से प्रशिक्षण सहायता के रूप में वजीफा भी दिया जाता है।

(छ): वर्ष 2022-23 तक, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता 56.40% है, जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त किया है या अपना स्वयं का उद्यम शुरू किया है।

*****